राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 917(2)पंराप्राशि/2017/17 जयपुर दिनांक - 13/01/2020

1 जिला कलक्टर, (परीक्षा नियत्रंक)
समस्त।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (अति0 परीक्षा नियत्रंक)
समस्त।

विषयः- तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर हुए शिक्षकों के समायोजन/स्थाईकरण के संबंध में तथा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 एवं 2013 के अन्य बिन्दुओं के संबंध में निर्णय हेतु मान. मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक दिनांक 06.01.2020 का कार्यवाही विवरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर हुए शिक्षकों के समायोजन/स्थाईकरण तथा तृ0 श्रे0 अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 एवं 2013 के (माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत/लंबित न्यायिक प्रकरणों के अतिरिक्त) समस्त मामलो के निस्तारण के क्रम मे दिनांक 06.01.2020 को मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण नियमानुसार वांछित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

संयुक्त शासन सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण प्रेषित कर लेख है कि कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दुओं पर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
4. एननिस्ट-कम-प्रोग्रामर एवं पदेन उप निदेशक, मुख्यालय, जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज)

क्रमांकः– एफ 917(2) पंराप्राशि / 2017 / 16 जयपुर दिनांक– 13/01/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर होने वाले शिक्षकों के सेवा से पृथक्कीकरण अथवा शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन तथा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 एवं 2013 के अन्य बिन्दुओं के संबंध में निर्णय हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2020 को उनके कक्ष में बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक मे निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

क.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	विभाग
01	श्री राजेश्वर सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव	ग्राविपंराज विभाग, राज0जयपुर
02	श्री विनोद कुमार भरवानी	प्रमुख शासन सचिव	विधि विभाग राज0 जयपुर
03	डॉ आरूषि अजेय मलिक	विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक	पंचायतीराज विभाग
04	श्री सुधीर शर्मा	विशिष्ट शासन सचिव	वित्त विभाग
05	श्री विजयपाल सिंह	संयुक्त सचिव एवं अति0 आयुक्त (प्रथम)	पंचायतीराज विभाग
06	श्री आर0के0.भूरिया	संयुक्त वेधि परामर्शी	पंचायतीराज विभाग
06	श्रीमती अनिता मीणा	उप शासन सचिव	प्रार0 शिक्षा विभाग
07	श्री जयसिंह	उप शासन सचिव	कार्मिक (क–2 / नियम) विभाग
08	श्री नवनीत कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला परिषद टोंक
09	श्री प्रहलाद सहाय नागा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला परिषद पाली

बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 879 / 2018 नवीन कुमार गौतम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.0*.2018 द्वारा वरीयता से बाहर होने वाले अध्यापकों को सेवा से बाहर नहीं करने एवं राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 27–वी के तहत उनकी सेवायें स्थायी करने की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये है। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका मे पारित निर्णय दिनांक 10.1.2018 के विरूद्ध "नो अपील" का निर्णय लिया गया। तृतीय श्रेणी प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के अन्तर्गत प्रथम परिणाम की वरीयता के आधार पर कार्यग्रहण कर चुके एवं संशोधित परिणाम की वरीयता से बाहर हुये अध्यापकों की संख्या 434 है। यद्यपि इस भर्ती के विज्ञापित पदों में से रिक्त रहे पदो की सख्या जिला परिषदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 519 है परन्तु विषयवार एवं श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार 189 अध्यापकों का समायोजन ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त विषयवार एवं श्रेणीवार आरक्षण रोस्टर के विरूपण (Distortion) बाबत विचार विमर्श किया गया। इस क्रम मे उक्त निर्णय की पालना हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों मे से 245 अतिरिक्त पदों पर शेष अध्यापकों का समायोजन किया जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर प्रतापगढ जिले मे प्रथम लेवल में 230 एवं द्वितीय लेवल में 124 पद सम्पूर्ण जिले को टीएसपी क्षेत्र मानकर विज्ञापित किये गये थे। तत्समय छोटी सादडी क्षेत्र नॉन टीएसपी में होने की वजह से वहाँ के कुछ

अभ्यर्थियों द्वारा "नॉनटीएसपी" के लिए पद विज्ञापित नही होने को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गई। एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 12356/2013 कांकलाल पाटीदार व अन्य बनाम राज. राज्य एवं याचिका संख्या 2488/15 रश्मि योगी बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित इकजाई निर्णय दिनांक 10.04.2018 की पालना का विभागीय स्थाई समिति द्वारा दिनांक 24.5.2018 को निर्णय लिया हुआ है। इस संबंध में नॉन टीएसपी क्षेत्र के अनुसार पृथक से भर्ती आयोजित कर पद भरे जाने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा आईडी सं. 131800331 पर प्रदान की गई है। वर्तमान में पंचायती राज नियमों के अनुसार चयन प्राधिकारी निदेशक प्रार0 शिक्षा होने के कारण इस भर्ती की कार्यवाही जिला परिषद प्रतापगढ द्वारा की जावें अथवा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा? बाबत विचार विमर्श के दौरान उप शासन सचिव प्रार0 शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि उक्त भर्ती तत्समय प्रचलित नियमों के आधार पर ही सपादित होनी है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्णय दिनाक 10.4.2018 की पालना में भर्ती की कार्यवाही पूर्व की भांति पंचायतीराज विभाग के निर्देशन में जिला परिषद प्रतापगढ द्वारा की जावें तथा इस संबंध में विज्ञापित किये जाने वाले 23 पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जावें।

3. तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 एवं 2013 के परीक्षा परिणाम की वरीयतानुसार नियुक्ति प्रकिया लगभग समाप्त हो गई है। भर्ती परीक्षा 2012 के अन्तर्गत एस0 बी0सिविल रिट याचिका संख्या 750/2017 मुकेश कुमार टेलर प्रकरण (पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके अध्यापकों से अधिक प्राप्तांक वाले परन्तु पुनः संशोधित परिणाम की वरीयता में नही आने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों में से रिक्त रहे पदों की उपलब्धता की स्थिति में वरीयतानुसार नियुक्ति देने के निर्देश) की पालना में विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा किन्ही भी कारणों से सेवा छोडकर जाने वाले अध्यापकों से रिक्त हुए पदों को रिक्त माना जाकर नियुक्ति की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों की यह मांग नियमानुसार औचित्यहीन है। इतने लम्बे समयांतराल के पश्चात भर्ती प्रकिया को निरंतर रखा जाना उचित नही है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 स्पेशल अपील संख्या 793/2019 राज0 राज्य व अन्य बनाम नारायण लाल गुर्जर मे पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 संदर्भनीय है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्न प्रकार है:–

"The consequences of such decisions, needless to say, are fraught and have larger repercussions- not the least of undoing a recruitment (and consequent appointments) that attained finality and entirely throwing out of gear the process, by re-opening the recruitment method after several years."

अतः माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों/लंबित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को छोडकर अन्य समस्त मामलों के लिए उक्त दोनों भर्तियों को बंद किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

विशिष्ट शासन सचिव
एवं निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्राविपंराज विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज0 जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर के उक्तानुसार बिन्दु संख्या–1 व 2 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग,राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव एवं अति0 आयुक्त (प्रथम), पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2/नियम),विभाग राज0 जयपुर।
9. निजी सहायक, संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)